

Tutorial Topics

LL.B. Vth Semester Session -2018-19

Jurisprudence :-विधि शास्त्र :-

1. महान विधिशास्त्रियों, जूलियस स्टोन, आस्टिन, सामण्ड, केलसन, सैविनी, हेनरीमेन, ड्यूगिट, रास्को पाउण्ड और ग्रे का विधि शास्त्र के क्षेत्र में योगदान का संक्षेप में वर्णन करें।
Describe briefly about the contribution in the area of jurisprudence of the great jurists, Julius ston, Austin, Salmond, Duguit, Rascoe pound and Gray.
2. विधि शास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए और प्राकृतिक विचार शाखा के शास्त्रीय काल की व्याख्या कीजिए।
Discuss in brief the various definitions of Jurisprudence and explain the classical period of Natural School.
3. विधिक व्यक्ति, अधिकार और कर्तव्य, स्वामित्व, कब्जा और पूर्व निर्णय का संक्षेप में व्याख्या करें।
Explain shortly about the concepts of legal personality. Rights & duties, Ownership, Possession and Precedent.

**Concern Teacher
Dr. B.K. Sharma**

Penology and Victimology :-दण्डशास्त्र एवं प्रपीड़न शास्त्र :-

1. अपराध शास्त्र एवं प्रपीड़न शास्त्र के बीच सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।
Discuss relation between criminology and penology.
2. दण्ड के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
Discuss the various theories of punishment.
3. मृत्युदण्ड की व्याख्या करें।
Explain Capital Punishment.

**Concern Teacher
Dr. Shweta Gupta**

Interpretation of Statutes :-संविधियों का निर्वचन :-

1. विधियों के निर्वचन का अर्थ, उद्देश्य तथा क्षेत्र।
Meaning, Purpose and scope of Interpretation of statutes.
2. (संविधि की व्याख्या के नियम)
Rule of Statutory Interpretation.
(a) Literal Rule (b) Golden Rule (c) Mischief Rule
(अ) शाब्दिक / व्याकरणिक नियम (ब) स्वर्णिम नियम (स) रिष्ठि का नियम
3. (संविधान का निर्वचन)
(Constitutional Interpretation)
Doctrine of Pith and substance. (सार तत्व का सिद्धान्त)
Doctrine of Colourable legislation. (आभासी विधायन)

**Concern Teacher
Mr. V.K. Yadav**

Human Rights :-मानवाधिकार :-

1. मानवाधिकार के रूप में जीवन का अधिकार।
“Right to Life as Human Rights”
2. “मानवाधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र—1948”
Universal Declaration of Human Rights-1948
3. “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग”
“National Human Rights Commission”

**Concern Teacher
Mr. A.S. Rathore**

नोट:- सभी छात्र/छात्रा अपने Tutorial की फाइल तैयार कर परीक्षा से पहले सम्बन्धित प्रवक्ता से जांच करवा लें।